उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(अंशदायी भविष्य निधि–ट्रस्ट)

14– अशोक मार्ग , शक्ति भवन विस्तार,

लखनऊ

संख्या : 2858/पाकालि/सी0पी0एफ0–ट्रस्ट/ दिनांक : 2·8·2 200

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0/कानपुर विद्युत वितरण निगम लि0/
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0।
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

विषय : अंशदायी भविष्य निधि से आवरित अधिकारियों/कर्मचारियों के अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान की निधि को ससमय प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया पार्श्वांकित पत्रों का अवलोकन करें। उल्लेखनीय है कि सन्दर्भगत पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि दिनाक 14.01.2000 के पश्चात् नियुक्त कारपोरेशन के अधिकारी एवं कर्मचारी जो अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित हैं का मासिक अंशदान एवं नियोक्ता का अंशदान जैसा कि **U.P. Power Corporation Limited Contributory Provident Fund Rules 2004.** में प्राविधानित है, प्रत्येक माह 7 तारीख तक (विगत माह का अंशदान) नियमित रूप से निर्धारित प्रपत्रों में उत्तर प्रदेश पावर लि0 कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 74–म0प्र0(वि0प्र0)/एफ–111/सी0पी0एफ0 दिनांक 05.05.2005 में भी अधोउद्दरित आदेश दिये गये थे –

संख्या 3950/ट्रस्ट दिनांक 08.11.2004
संख्या 3776/सी0पी0एफ0/04 दिनांक 10.08.2005
संख्या 855/सी0पी0एफ0–ट्रस्ट/2006 दिनाक/2007

> प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी इस तथ्य को सुनिश्चित एव प्रमाणित करेंगे कि उनके अधीन अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित सभी अधिकारी/कार्मिकों का निर्धारण अंशदान एवं नियोक्ता अंशदान पूर्णतः ट्रस्ट को ससमय प्रेषित एवं जमा कराया गया है। सम्बन्धित परिक्षेत्रीय लेखाधिकारी द्वारा इसका मासिक अनुश्रवण एवं रिकन्सीलियेशन सुनिश्चित किया जायेगा।

अब यह देखा जा रहा है कि प्रश्नगत मद की धनराशि नियमित रूप से वॉछित व्यवस्थानुसार एवं समय से प्रेषित नहीं की जा रही है। महा लेखाकार, उ0प्र0 द्वारा सम्प्रेक्षा के दौरान समय से धनराशि खण्डों/युनिटों द्वारा न भेजे जाने पर आपत्ति भी दर्ज की है, अतः पुनः यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाता है कि प्रश्नगत योजना से आवरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अंशदान के रूप से काटी गयी धनराशि तथा नियोक्ता के अंशदान की

... निश्चित ? तारीख तक ट्रस्ट को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय अन्यथा की स्थिति मे ब्याज की क्षति ... की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित आहरण/वितरण अधिकारी की होगी और सम्बन्धित फण्ड रूल्स के तहत विधि... ... के लिए ट्रस्ट किसी भी दशा मे उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि इसकी पूर्ण जवाबदेही भी सम्बन्धित ... /वितरण अधिकारी की होगी। यह स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि जिस माह मे प्रश्नगत धनराशि ट्रस्ट के ... उसी माह से प्राप्त धनराशि पर ट्रस्ट द्वारा ब्याज की गणना की जायगी।

अतः कृपया यह सुनिश्चित करें कि कार्मिक एवं नियोक्ता के अंशदान के मद की धनराशि को माह ... के साथ प्रत्येक माह ट्रस्ट को उपलब्ध करा दिया जाय और यदि किसी कारणवश धनराशि प्रेषित ... मे विलम्ब हो गया है/हो जाता है तो सी0पी0एफ0 पर अनुमन्य ब्याज के साथ धनराशि प्रेषित की ... उक्त धनराशि ट्रस्ट द्वारा स्वीकार नही की जायेगी।

(एच0के0 अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

... /पावकालि/सी0पी0एफ0-ट्रस्ट/ तद्‌दिनांक 2007

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त महा प्रबन्धक/उप महा प्रबन्धक (पारेषण/वितरण) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
4. मुख्य महा प्रबन्धक (निधि प्रबन्ध) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. महा प्रबन्धक/उप महा प्रबन्धक (लेखा) उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0/कानपुर विद्युत वितरण निगम लि0/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0
6. उपमुख्य लेखाधिकारी (पारेषण/वितरण), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0/कानपुर विद्युत वितरण निगम लि0/मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0।

(एच0के0 अग्रवाल)
कम्पनी सचिव